5 दिसम्बर, 2014

INDIAN COUNCIL OF WORLD AFFAIRS

POLICY BRIEF

भारत-जापान संबंध: द्विपक्षीय कार्यनीतिक और वैश्विक भागीदारी को और गहरा बनाने हेतु सुझाव

*डॉ. शमशाद ए. खान**

भारत और जापान के बीच वर्ष 2006 में एक कार्यनीतिक साझेदारी करार पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद से ही इन दोनों एशियाई लोकतांत्रिक देशों के संबंध नई ऊंचाइयों के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। कार्यनीतिक भागीदारी के भाग के रूप में दोनों देशों ने द्विपक्षीय हितों के अनेक क्षेत्रों की पहचान की है जहां ये परस्पर सहयोग कर रहे हैं। इनमें व्यापार, अर्थव्यवस्था, बुनियादी सुविधाएं, सुरक्षा तथा रक्षा और ऊर्जा सुरक्षा शामिल हैं। भारत के प्रधानमंत्री, नरेंद्र मोदी की इस वर्ष की जापान यात्रा के दौरान, मौजूदा कार्यनीतिक भागीदारी और मजबूत होकर एक "विशेष" कार्यनीतिक तथा वैश्विक भागीदारी में बदल गई है। भागीदारी का स्तर बढ़ाया जाना द्विपक्षीय संबंधों के नामकरण में परिवर्तन मात्र ही नहीं है, बल्कि यह एक संकेत है कि भारत जापान के साथ अपने संबंधों को अत्यधिक महत्व देता है और आने वाले दशकों में टोक्यो नई दिल्ली की विदेश नीति प्राथमिकताओं के शीर्ष पर बना रहेगा। जापान भी भारत के साथ अपने संबंधों को उतनी ही प्राथमिकता देता है। तथापि, "विशेष और कार्यनीतिक भागीदारी" को और अधिक प्रासंगिक बनाने के लिए दोनों ही (देशों) को इसे और अधिक ठोस बनाने की दिशा में व्यावहारिक कदम उठाने चाहिए। यह नीति सार कुछ ऐसे सुझाव प्रस्तुत करता है जो भारत-जापान विशेष तथा कार्यनीतिक एवं वैश्विक भागीदारी को और अर्थपूर्ण बनाएगा और द्विपक्षीय संबंधों को अधिक घनिष्ठ बनाने में सहायता करेगा।

संयुक्त रक्षा उत्पादन की संभावनाएं तलाशना

अन्य लोकतांत्रिक देशों, जैसेकि जापान तथा ऑस्ट्रेलिया और जापान तथा अमेरिका के बीच कार्यनीतिक साझेदारी पर किए गए हस्ताक्षर उनके अपने रक्षा और सुरक्षा हितों द्वारा संचालित हैं। तथापि, भारत-

जापान कार्यनीतिक साझेदारी में आर्थिक सहयोग प्रमुख कारक है और सुरक्षा तथा रक्षा मुद्दों को इससे कम प्राथमिकता मिली है। ऐसा कुछ हद तक इसलिए है कि जापान अपनी शांतिवादी/युद्धविरोधी नीतियों के कारण अपने रक्षा उपकरणों को समुद्रपार (के देशों) को बेचने से हिचकिचाता रहा है; अत: जापानी कंपनियों पर हथियार तथा हथियारों से संबद्ध प्रौद्योगिकियों का निर्यात करने के संबंध में कठोर घरेलू कानून लागू किए गए थे। इसके अलावा, भारत और जापान दोनों चीन से टकराव मोल न लेने के प्रयास के तहत अपनी रक्षा और सुरक्षा भागीदारी को लो प्रोफ़ाइल रखना चाहते थे। बहरहाल, जापान और भारत दोनों (देशों) में घरेलू परिवर्तनों ने उन्हें रक्षा और सुरक्षा क्षेत्रों में सहयोग करने के नए अवसर उपलब्ध कराए हैं। हाल ही में, जापान ने हथियार तथा हथियारों से संबद्ध प्रौद्योगिकियों के निर्यात में ढ़ील दी है और जापानी कंपनियों ने ऑस्ट्रेलियाई और ब्रिटिश कंपनियों के साथ संयुक्त उद्यमों में साझेदारी शुरू कर दी है। भारत ने भी अपने रक्षा क्षेत्र में किए जानेवाले प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की ऊपरी सीमा 26 प्रतिशत से बढ़ाकर 49 प्रतिशत कर दी है। भारतीय रक्षा कंपनियां जापानी कंपनियों के साथ संयुक्त रक्षा उत्पादन प्रारंभ करने के लिए उत्सुक रही थीं क्योंकि उनके पास अत्याधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकियां मौजूद हैं। भारत को जापान में आंतरिक परिवर्तनों का संज्ञान लेना चाहिए और रक्षा व्ययों में कटौती में सहायता करने के लिए भारतीय और जापानी कंपनियों के बीच संयुक्त रक्षा उत्पादन को सुविधाजनक बनाना चाहिए।

भारतीय रक्षा कंपनियां विशेषकर जापान के यूएस-2 उभयचर विमान, जो उन्नत वायु–सागर अनुसंधान और बचाव अभियानों के लिए विश्वभर में उपलब्ध अपनी तरह का एकमात्र विमान है, के साथ-साथ सोर्यु पनडुब्बी में विशेष रुचि रखती हैं जो दुनिया की सबसे बड़ी परम्परागत पनडुब्बियों में से एक है तथा परमाणु-शक्ति से संचालित नहीं है और जो पानी के भीतर मंडराने/चलने और लक्ष्य भेदने के मामले में सर्वश्रेष्ठ पन्डुब्बियों में से एक है। जापानी रक्षा निर्माताओं का एक अनुभाग भारतीय बाजार की अपार क्षमता को देखते हुए इसमें भी रुचि रखता है। तथापि, इन प्रौद्योगिकियों को साझा करने में कुछ अन्य (जापानी रक्षा निर्माता) अत्यधिक सावधानी बरतते हैं। उनकी चिंता यह है कि यदि इन प्रौद्योगिकियों के रहस्य किसी तीसरे देश को बता दिए जाते हैं तो वैश्विक बाजार में जापानी कंपनियों की बढ़त बरकरार नहीं रह सकेगी। इन चिंताओं को दूर करने के लिए भारत को चाहिए कि वह जापान को आश्वस्त करे कि इन प्रौद्योगिकियों की संरक्षा की जाएगी और सरकार इन प्रौद्योगिकियों के रहस्य किसी तीसरे देश के समक्ष प्रकट किए जाने को रोकने के लिए सभी आवश्यक उपाय करेगी।

मौजूदा 2 + 2 वार्ता का स्तर मंत्री स्तर तक बढ़ाना

जापान तथा ऑस्ट्रेलिया और जापान तथा अमरीका के बीच कार्यनीतिक वार्ता की अगुवाई उनके रक्षा और विदेश मंत्रियों द्वारा की जाती है, जिसे सामान्य तौर पर 2 + 2 वार्ता के रूप में जाना जाता है। तथापि,

भारत-जापान कार्यनीतिक साझेदारी में, यह वार्ता रक्षा और विदेश सचिवों तथा उनके जापानी समकक्षों के स्तर पर होती रही है। जापान निर्णय लेने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए मौजूदा 2 + 2 वार्ता का स्तर बढ़ाकर इसे दो मंत्रालयों के बीच की वार्ता के स्तर तक लाने के लिए उत्सुक है। सिद्धांत रूप में, दोनों सरकारों के बीच कार्यनीतिक वार्ता में "तेजी" लाने पर भारत का रूख लचीला है। तथापि, मजबूत होते भारत-जापान कार्यनीतिक गठबंधन के संबंध में चीन की चिंता के कारण जाहिर तौर पर यह (भारत) सावधानीपूर्वक कदम उठा रहा है। चीन इन उपायों/कदमों को अपनी "घेराबन्दी" के रूप में देखता है। अमेरिका-जापान और जापान-ऑस्ट्रेलिया 2 + 2 व्यवस्थाओं के बारे में भी इसे ऐसी ही चिंता है। तीनों देशों के आर्थिक हित चीन के साथ गहराई से जुड़े हैं; तथापि, इसने उन्हें अपने द्विपक्षीय कार्यनीतिक वार्ता व्यवस्था कायम करने और वैश्विक सुरक्षा खतरों तथा अपनी सुरक्षा हितों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने से नहीं रोका है। भारत और जापान को भी दोनों देशों की नौकरशाही को शामिल रखते हुए मंत्री स्तर की 2 + 2 वार्ता व्यवस्था कायम करने के लिए कुछ बुनियादी कार्य करना चाहिए। 2 + 2 वार्ता का स्तर मंत्री स्तर तक बढ़ाने से न केवल निर्णय लेने की प्रक्रिया में तेजी आएगी बल्कि यह (कदम) भारत-जापान 2 + 2 कार्यनीतिक वार्ता को जापान-ऑस्ट्रेलिया और जापान-अमेरिका कार्यनीतिक वार्ता के समकक्ष ला खड़ा करेगा।

भागीदारी को सच्ची वैश्विक भागीदारी बनाने हेतु अधिग्रहण तथा परस्पर-सेवा करार (एसीएसए) पर हस्ताक्षर करने के लिए आधार तैयार करना

वर्ष 2009 में अपने रक्षा मंत्रियों की बैठक के बाद, भारत और जापान ने संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों, शांति कायम करने और आपदा राहत कार्यों में संयुक्त रूप से काम करने की प्रतिबद्धता जताई। जापान और भारत दोनों ने वर्ष 2011 में अपने रक्षा मंत्रियों की बैठक के बाद भी इसी प्रकार की प्रतिबद्धता दोहराई। हाल ही में, दोनों देशों ने कार्यनीतिक भागीदारी को वैश्विक भागीदारी में बदलने की इच्छा व्यक्त की है। भारतीय सेना की आपदा राहत कार्यकलापों में भागीदारी और इन क्षेत्रों में जापानी सैनिकों के साथ सहयोग के मामलों में दोनों (देशों) को संसाधनों और रसद/सैन्य तंत्र को साझा करने की आवश्यकता पड़ेगी। प्राकृतिक आपदाओं और बचाव अभियानों के दौरान परस्पर सहयोग करने की इच्छा रखने वाली दो सरकारों के बीच अधिग्रहण और परस्पर-सेवा करार (एसीएसए) पर हस्ताक्षर करने की एक सामान्य परिपाटी/प्रथा है। इस प्रतिबद्धता के बावजूद कि दोनों देशों के सुरक्षा बलों की टुकड़ियां शांति सेना अभियानों और आपदा राहत कार्यकलापों में पारस्परिक सहयोग करेंगी, भारत और जापान को द्विपक्षीय रसद/सैन्य तंत्र साझेदारी करार अथवा अधिग्रहण और परस्पर-सेवा करार (एसीएसए) पर अभी बातचीत प्रारंभ करना है। दोनों देशों की सैन्य टुकड़ियों के लिए संयुक्त राष्ट्र शांति सेना अभियानों और समुद्रपार के देशों में आपदा राहत अभियानों में भाग लेने के बढ़ते अवसरों को देखते हुए, भारत और जापान को

ऐसे कार्यकलापों के दौरान परस्पर आपूर्तियों और आपसी सहयोग हेतु किसी करार पर हस्ताक्षर करने पर विचार करना चाहिए। भारत और जापान के बीच अधिग्रहण और परस्पर-सेवा करार (एसीएसए) पर हस्ताक्षर किया जाना शांति को बढ़ावा देने और अंतरराष्ट्रीय समुदाय की सुरक्षा में सक्रिय भूमिका अदा करने के लिए उत्सुक दो कार्यनीतिक भागीदारों के बीच निश्चित रूप से घनिष्ठ सहयोग को बढ़ावा देगा।

समुद्री सुरक्षा में अधिकाधिक परस्पर-सक्रियता का प्रयास

भारत और जापान दोनों ही हिन्द महासागर के रास्ते अपने निर्यात और आयात हेतु समुद्री आवागमन गलियारे पर निर्भर करते हैं, जो उनकी आर्थिक सुरक्षा से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल जलदस्युओं के हमलों से भारतीय और जापानी जहाजों की सुरक्षा करते रहे हैं और उन्होंने जलदस्युता की घटनाओं से निपटने में बलप्रयोग किया है, जबकि जापानी समुद्री आत्म-रक्षा बलों ने बल का प्रयोग करने में जापानी सैन्य टुकड़ियों पर कानूनी प्रतिबंधों का हवाला देते हुए इन गतिविधियों में कभी भाग नहीं लिया है। इस प्रकार, संपूर्ण भारत-जापान समुद्री सहयोग, अभी तक, एक-आयामी रहा है। तथापि, जापान ने हाल ही में प्रतिबंध उठा लिया है और अपने रक्षा बलों को सामूहिक आत्म-रक्षा अधिकार का प्रयोग करने की अनुमति प्रदान कर दी है। इसके अलावा, जापानी प्रधानमंत्री शिन्जो आबे ने कहा है कि जापानी नौसैनिक बल होर्मुज जलडमरूमध्य से मलक्का जलडमरूमध्य के बीच जलदस्युता-विरोधी और समुद्री विस्फोटक खानों को हटाने संबंधी कार्रवाई करने में सक्षम हो जाएंगे। भारत को जापान में हो रहे इन आंतरिक परिवर्तनों का ध्यान रखना चाहिए और द्विपक्षीय समुद्री सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करनी चाहिए ताकि भारत-जापान समुद्री सहयोग को परस्पर-सहयोगी बनाया जा सके।

निस्संदेह, भारत-जापान संबंध पिछले कुछ वर्षों में नई ऊंचाइयों तक जा पहुंचे हैं। तथापि, रक्षा और सुरक्षा जैसे कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं, जहां (उपलब्ध) अपार अवसरों का उपयोग नहीं किया गया है। दोनों ही देशों को इन क्षमताओं का उपयोग करने के लिए कदम उठाना चाहिए, जो भारत-जापान द्विपक्षीय संबंधों को गहरा करने में सहायक होगा।

[*]डॉ. शमशाद ए. खान विश्व मामलों की भारतीय परिषद, नई दिल्ली में अनुसंधान अध्येता हैं। लेखक द्वारा व्यक्त किए गए विचार उनके व्यक्तिगत विचार हैं।